1-11-18 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील को दोहराते हुए बताया कि अपील की मद संख्या 1 में अंकित नामा. संख्या 258 दिनांक 20.12.16 स्वीकृत किया गया है। अपीलांट से खाता विक्रय का कब्जा तथाकथित रूप से दस्तावेज करवा लिया है जो अपीलांट के हितों पर विपरीत असर डालती है। अपीलाधीन आदेश [illegible] रूप से जारी किया गया है, देरी माफ किया जाकर साथ में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर देरी को क्षमा कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पो० 1 ता 2 ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वकील रेस्पो० 3/1, 3/2 ने बताया कि अपीलांट ने यह दाखिल नहीं किया है कि वह पटवारी के पास कब एवं किस पटवारी के पास गये। मात्र [illegible] दर्ज करने से विक्रय अधिकार का [illegible] नहीं किया जा सकता है। सूचना के वास्ते शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। क्योंकि उप० होकर उप पंजीयक के समक्ष दस्तावेज किया है। रजिस्टर्ड है जिसे सिविल न्यायालय के अलावा निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसी Regd. दस्तावेज के आधार पर ही उक्त इंतकाल दर्ज किया गया है, जो सही है। अतः अपील खारिज किए जाने की प्रार्थना की। कानूनी नजीर RBJ (25) 2010 पेज 198 व RBJ (5) 1998 पेज 443 पेश किया।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट्स ने यह बताया है कि उन्होंने खाता विक्रय की आड़ में दस्तावेज करवा लिया है, इस आधार पर अपील स्वीकार कर इंतकाल निरस्त किया जावे। उन्होंने बताया कि पटवारी ने उन्हें यह बताया है लेकिन उन्होंने इस हेतु कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पो. 1 व 2 ने उप पंजीयक के समक्ष उप० होकर उक्त Regd. दस्तावेज करवाया है। अतः उनके तर्क स्वीकार नहीं है कि उन्हें दस्तावेज की जानकारी नहीं थी।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज जाहिर होकर दे आदेश की नकल [illegible] दे मद हो। निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.01 13:35:10 IST
Reason: SelfAttested